UPSR010004272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-158/2026

मैसर अली उम्र 40 वर्ष पुत्र मो0 हनीफ,

निवासी–कन्दौसा, थाना–बौण्डी, जनपद–बहराइच। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–256/2025
धारा–109, 352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 19.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **मैसर अली** की ओर से अपराध संख्या 256/2025, धारा 109, 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा अखिलेश कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 26.09.2025 को इस आशय की फर्द बरामदगी दी गयी कि दिनांक 25.09.2025 को वह प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0 नि0 विशाल यादव, म० उ0 नि० अर्चना, आरक्षी शेषराम वर्मा, एक आरक्षी मुकेश कुमार मय वाहन सरकारी UP46G0161 मुख्य आरक्षी धर्मपाल कुमार के बावर्दी दुरूस्त विनावर देखभाल क्षेत्र व चेकिंग शान्ति व्यवस्था ड्यूटी/पिकेट व नवरात्रि/दशहरा त्यौहार के दृष्टिगत शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी/संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चेकिंग, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित वारंटी व रोकथाम जुर्म जरायम हेतु थाना क्षेत्र में रात्रि गस्त करते हुये बहराइच रोड़ गिलौला थाना क्षेत्र के सीमा पर आया। सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग करा रहा था कि इसी दौरान थानाध्यक्ष गिलौला श्री विनय कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0 नि0 श्री मंदीप यादव महिला उ0 नि0 मीना मणि त्रिपाठी आरक्षी विमलेश यादव, आरक्षी प्रवीण यादव मय सरकारी वाहन सोमो गोल्ड UP46G0174 मय चालक का० देश दीपक यादव के मलावा बार्डर पर आ गये। वे

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.19 16:30:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लोग संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों व गो तस्करों की चेकिंग प्रारम्भ किये थे पूर्व से थाना क्षेत्र में रवाना शुदा उ0 नि0 श्री सन्तोष यादव मय हमराह आरक्षी दुर्गेश कुमार आरक्षी प्रमोद गंगवार मय सरकारी वाहन थार UP46G0132 चालक हे0 का0 राम सिंह के मौके पर आ गये इन्हे भी चेकिंग में लगाया गया। वे लोग चेकिंग कर ही रहे थे कि पूर्व से मामूर मुखविर खास ने आ कर बताया कि साहब दिनांक 09/10.09.2025 की रात्रि में ग्राम जयचन्दपुर कटघरा में जो चार घरों में चोरी की घटना घटित हुई थी तथा थाना क्षेत्र गिलौला अन्तर्गत ग्राम कमली कमलाभारी में दिनांक 13.09.2025 की रात्रि में एक घर में चोरी हुई थी। उस चोरी की घटना को कारित करने वाले दो शातिर चोर कोठार पुरवा जाने वाली हाईवे मोड़ से कच्ची सड़क पर कुछ दूरी पर बैठ कर किसी का इन्तजार कर रहे है। हो सकता है रात्रि में कोई बड़ी घटना कारित कर दे। अगर वे लोग जल्दी करे तो दोनो शातिर चोर पकड़े जा सकते हैं। मुखविर खास की बात पर विश्वास कर आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी व सरकारी वाहनों की तलाशी कर पूर्ण इतमिनान किया गया कि किसी के पास सरकारी असलहा व अपना अपना सरकारी व प्राइवेट फोन व जेब खर्च के रूपये के अलावा अपराध से सम्बन्धित कोई भी नाजायज वस्तु किसी के पास नहीं है। सड़क से आने जाने वाले वाहन चालको को रोक कर उन्हें मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना से अवगत करा कर गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई भी व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। उसके द्वारा मुखबिर की सूचना से सभी को अवगत करा कर तीन टीम बनायी गयी। एक टीम का नेतृत्व वह स्वयं कर रहा था। तथा दूसरी टीम का नेतृत्व थानाध्यक्ष गिलौला श्री विनय कुमार पाण्डेय के जिम्मे सौपा तथा तीसरी टीम का नेतृत्व उ0 नि0 श्री सन्तोष कुमार यादव के जिम्मे सौप कर वे सब पुलिस वाले मुखबिर खास को साथ लेकर सोनरई जाने वाली पक्की सड़क मोड़ पर पहुंचे उसके द्वारा थानाध्यक्ष गिलौला को मय हमराह फोर्स सोनरई जाने वाली सड़क से कोठार पुरवा की तरफ से वाहन को खड़ा कर कच्ची सड़क पर धीरे धीरे छिपते छिपाते बढ़ने के लिये भेजा तथा तीसरी टीम उ0 नि0 सन्तोष यादव मय हमराह फोर्स वाहन को सोनरई मोड़ पर बड़ा कराकर दाहिने तरफ खेतों के रास्ते कोठार पुरवा कच्ची सड़क की तरफ घेरा बन्दी करने के लिये रवाना कर वह सरकारी वाहन को मय चालक सोनरई मोड़ पर ही छोड़ कर छिपते छिपाते बहराइच इकौना हाइवे से कोठार पुरवा जाने वाली कच्ची सड़क मोड़ के पास झाड़ी की आड़ में पहुॅचा। मुखबिर खास इशारा कर बताया थानाध्यक्ष गिलौला श्री विनय कुमार पाण्डेय की टीम जैसे ही दोनों व्यक्तियों के नजदीक पहुची तो दोनों व्यक्तियो में से एक व्यक्ति ने जोर से चिल्ला कर अपने दूसरे साथी से कहा कि साले पुलिस वाले आ गये। इन्हे गोली मार दो जिन्दा न बचने पाये इस पर वह प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स के बदमाशों के फायरिंग रेन्ज में होते हुये भी अपना जान जोखिम में देख कर दोनों बदमाशों की तरफ ललकारते हुये

आगे बढ़े कि एक बदमाश मुझ प्रभारी निरीक्षक को जान से मारने की नियत से एक राउंड फायर किया गोली उसके गर्दन के बगल से निकल गयी तथा वह बाल बाल बच गया पुनः एक बदमाश अपने साथी को ललकार रहा था साले पुलिस वाले बचने न पाये फिर से इन्हें गोली मारो इस पर दूसरे बदमाश ने पुनः जान से मारने की नियत से लक्ष्य बना कर थानाध्यक्ष गिलौला की टीम की तरफ फायर किया गोली उ0 नि0 श्री मंदीप यादव के कमर के बगल से निकल गयी तथा अचानक वह गिर गये। बदमाशों को पकड़ने हेतु फायर आ रहे दिशा की तरफ इन्हें पकड़ने के लिये लक्ष्य कर कमर के नीचे निशाना लगा कर दो राउन्ड फायर किया तथा थानाध्यक्ष गिलौला श्री विनय कुमार पाण्डेय अपने सरकारी ग्लाक पिस्टल नम्बर HPZ679 से बदमाशों के कमर के नीचे पकड़ने हेतु जान जोखिम में अपना देख कर एक राउन्ड फायर किये बदमाशों की तरफ से फायर आना बन्द हुआ तथा एक बदमाश की कराहने की आवाज समय करीब 00.20 बजे आयी तथा दूसरा बदमाश कड्नी सड़क से बायें तरफ झाड़ियों एवं खेतों में भरे पानी के तरफ भागने लगा जिसका पीछा उ0 नि0 श्री सन्तोष यादव व उनकी टीम द्वारा किया गया। लेकिन खेतों में पानी भरे होने व झाड़ी झंबाड व रात्रि का समय होने के कारण एक बदमाश भागने में सफल रहा। वे सब पुलिस वाले जमीन पर गिरे एक बदमाश के पास पहुंचे टार्च की रोशनी में देखा गया कि एक बदमाश घायल अवस्था में है तथा इसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे पिन्डली पर गोली लगी है तथा काफी रक्त श्राव हो रहा है। घायल व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम सलमान पुत्र झगरू निवासी आगा पुरवा दा० सेखदहीर थाना कोतवाली देहात जिला बहराइच बताया। घायल व्यक्ति के समक्ष क्रमशः वे पुलिस वाले अपनी जामा तलाशी दिये तो किसी के पास सरकारी शस्त्र मोबाइल फोन टार्च व जेब खर्च के पैसे के अलावा अपराध से सम्बन्धित कोई नाजायज वस्तु नही मिला इस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास दिलाने के उपरान्त इसकी जामा तलाशी ली गयी तो सलमान के पास दाहिने तरफ एक तमन्चा 315 बोर तथा पास ही 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा तमन्चे को खोल कर देखा गया तो चेम्बर में एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का फसा है तथा इसके पास ही एक सफेद प्लास्टिक का झोला मिला झोले के अन्दर दो काली पन्नियों में सोने चादी के जेवरात तथा पैसे रखे है। झोले से दोनों पन्नियों को सलमान से निकलवा कर देखा गया तो एक पन्नी में पाँच पाँच सौ रूपये के के 18 नोट कुल 9000/– रूपये व एक जोड़ी सफेद धातु गुजहा, एक अदद पीली धातु का ठप्पा जिसमें लाल व हरा व गोल्डेन कलर का मोती लगी है, तथा एक अदद पीली धातू की बडी नथ, तथा एक जोड़ा सफेद धातु हाथ फूल, चार जोड़ी पैर की बिछिया सफेद धातु तथा दो जोड़ी पायल सफेद धातु पायल, तथा दूसरी पन्नी में रखा पाँच पाँच सौ रूपये के आठ नोट कुल 4000/– रूपये तथा सफेद धातू की दो जोड़ी

पायल, तथा एक जोडी पीली धातू का कान की बाली मिली। पकड़े गये व्यक्ति से तमंचा कारतूस रखने के सम्बन्ध में व जेवरात रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका जेवरात व रूपयो के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर हाथ जोड़ कर माफी मांगते हुये बता रहा है कि वह अपने साथी सलीम पुत्र ताहीर खान निवासी बेहनन पुरवा चन्द्रखा बुजुर्ग थाना सोनवा जिला श्रावस्ती तथा दौलत अली पुत्र मंसूर अली निवासी मीरामऊ भदौरा थाना गिलौला जिला श्रावस्ती व मुन्ना उर्फ नौसाद पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी बडा इमाम बाड़ा गरीब नवाज मदरसा व काशी राम कालोनी के पास थाना कोतवाली नगर गोण्डा और मैसर पुत्र हनीफ निवासी कन्दौसा थाना बौड़ी जिला बहराइच के साथ मिल कर दिनांक 09/10.09.2025 की रात्रि ग्राम जयचन्दपुर कटघरा के चार घरों में घुस कर चोरी की घटना किये थे जिसमें सोने चॉदी के जेवरात व नगद रूपये मिले थे तथा उन सभी ने थाना क्षेत्र गिलौला के गाँव कमली कमलाभारी में दिनांक 13.09.2025 की रात्रि एक घर में घुस कर चोरी किये थे। जिसमें सोने चांदी के जेवरात नगदी रूपये मिला था जो पन्नी में 9000/– रूपया व सोने चांदी के जेवरात मिले हैं यह जेवरात व रूपये ग्राम जयचन्दपुर कटघरा की चोरी में मिला हिस्से का माल है तथा जिस पन्नी में 4000/– रूपये नगद व सोने चांदी के जेवरात मिले है यह ग्राम कमली कमलाभारी के घर के चोरी का माल है। मुन्ना उर्फ नौसाद से कपड़ा का फेरी लगाने के बहाने घरों का रैकी कराते है तथा अक्सर गाँव के किनारे मकानो में हम लोग चोरी करते है। कुछ जेवरात मै नेपाल गंज (नेपाल) में भी बेच कर खर्च कर दिया है तथा यह तमंचा कारतूस उसने नेपाल गंज (नेपाल राष्ट्र) से एक व्यक्ति से खरीदा है उसका नाम पता नहीं जानता है। अभी हाल ही में उसके तीन साथी सलीम, दौलत अली, मुन्ना उर्फ नौसाद को भिनगा थाने की पुलिस पकड़ कर जेल भेज दी है। यह सभी कमलाभारी व जयचन्द पुर कटघरा की चोरी की घटना में जोभी जेवरात व नगदी मिला था उनमें से ज्यादा हिस्सा उन लोगों के पास ही था।
उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर सह अभियुक्त सलमान के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 109, 352, 351 (3) बी0 एन0 एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को फर्जी एवं असत्य तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक असत्य एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी घटना कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भूमिका नहीं है और न ही कोई अपराध कारित किया है। आवेदक/अभियुक्त अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पेपर दिखाते समय पुलिस द्वारा अनुचित लाभ की मांग की गयी। अभियुक्त द्वारा पूरा न

करने पर कहा सुनी हो गयी और इसी बात पर पुलिस वाले नाराज होकर आवेदक/अभियुक्त को थाने ले जाकर एक ही दिन में कई अज्ञात मुकदमों में प्रकाश में नाम लाकर फर्जी मुकदमें में नामित कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमें के अतिरिक्त 11 अन्य मुकदमें पंजीकृत हैं। आवेदक/अभियुक्त अन्तर्जनपदीय बदमाश है। इसके अतिरिक्त मौके से फरार हो गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– मुकदमा संख्या 383/2026, राज्य प्रति मैसर अली एवं अन्य, अपराध संख्या 256/2025, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त को किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मैसर अली** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 19.03.2026